भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4256
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बाल देखभाल संस्थाएं

4256. **श्री अनूप संजय धोत्रेः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बाल देखभाल संस्थाओं और इन संस्थानों में रहने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा देश में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद सभी बच्चों का डाटा बेस शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने और इसे नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): हाँ जी, महोदय। मिशन वात्सल्य योजना के तहत 31.03.2024 तक वित्तीय सहायता प्राप्त बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की संख्या 2450 है और इन सीसीआई के माध्यम से सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या 62592 है।

(ग): मंत्रालय मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत कार्यकलापों के संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ वार्षिक रूप से बैठकें आयोजित करता है। इन बैठकों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत सांविधिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं की संख्या के संबंध में प्रगति, सूचना और डेटा साझा करते हैं, जैसे बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाईयां, बाल देखभाल इकाइयों की संख्या, उन सीसीआई में लाभार्थी और राज्य बाल संरक्षण समितियां और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां।

*****